Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज॰) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 -2850551–75

क्रमांक प( )/जरारासंविवि/शैक्ष.मि0/21/ दिनांकः–

1 प्रो0 अनुला मौर्य, अध्यक्ष कार्यपरिषद् एवं माननीय कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर।
2 प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, प्रयागराज–211006 (उ.प्र.)
E-mail ID :- prof.rkshastri@ gmail.com
3 डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा, सह आचार्य, साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
4 डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, पूर्व सदस्य सचिव, कार्यपरिषद् एवं पूर्व कुलसचिव, जरारासंविवि, जयपुर।

विषय :– कार्यपरिषद् की 66 वीं बैठक का बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की दिनांक 28.06.2021 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित 66वीं बैठक का बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

–sd–

(राजेन्द्र सिंह चारण)
R.A.S.
कुलसचिव

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि/ शै.मी.शा./21/ 2616-21 दिनांकः– 18/8/2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2 सचिव महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर।
5 वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक शैक्षणिक परिसर/सहायक कुलसचिव (सा0प्र0, संस्थापन, शैक्ष0) को भेजकर लेख है कि अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
6 वेबसाईट प्रभारी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही विवरण को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।

कुलसचिव

Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शै0मि0शा0 / 21 / दिनांकः–

कार्यपरिषद् की दिनांक 28.06.2021 को प्रातः11.30 बजे आयोजित 66वीं बैठक का बैठक कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 66 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 28.06.2021 को प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में किया गया।। बैठक में माननीय सदस्यों की ऑफलाईन उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1 प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, प्रयागराज–211006 (उ.प्र.)
2 डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा, सह आचार्य, साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
3 डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षा विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
4 श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, कुलसचिव, सदस्य सचिव (पदेन), जरारासंविवि, जयपुर।

डॉ. माताप्रसाद शर्मा, संकायाध्यक्ष एवं सह आचार्य द्वारा वैदिक मंगलाचरण के उपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु संख्या	बिन्दु का विवरण	निर्णय
66–1	कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक हेतु सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया किः– 65–24 :– राज्य सरकार के स्तर पर जांच प्रक्रियाधीन है अतः विश्वविद्यालय में जांच करवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार की जांच के अनुरूप ही आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। 65–41 :– इस बिन्दु पर विचार के समय डॉ0 माताप्रसाद शर्मा कार्यपरिषद् की बैठक से प्रकरण उनसे संबंधित होने के कारण कुलपति महोदय के निर्देश पर बैठक से बाहर चले गये। तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि चूंकि डॉ0 माताप्रसाद शर्मा के संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र केन्द्रीय संस्कृत संस्थान, गुरूवायुर परिसर, केरल के निदेशक प्रो0 ई0एम0 राजन द्वारा कुलसचिव, जरारासंविवि को प्रेषित पत्रांक 478 दिनांक 14.01.2021 को कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकार किया जा चुका है अतः उक्त विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के रूप में की गई सेवा को न जोडने पर भी सहायक आचार्य के रूप में 08 वर्ष की सेवा अवधि को सत्यापित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किये गये पत्र व्यवहार को शामिल पत्रावली किये जाने एवं प्रकरण को समाप्त करने हेतु माननीया कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक के निर्णयों / पालना की पुष्टि की गई।
66–2	परीक्षा नियंत्रक के यू0ओ0नोट क्रमांक 963 दिनांक 23.06.2021 अनुसार चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में निम्नानुसार स्वर्ण पदक एवं उपाधियों के वितरण का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ। 1. स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र – 14 2. शास्त्री की उपाधियाँ – 3363 3. आचार्य की उपाधियाँ – 2089	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

	4. शिक्षाशास्त्री – 2015 5. विद्यावारिधि – 15 कुल उपाधियाँ – 7482	
66–3	वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.03.2021 का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ/पुष्टि हेतु।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–4	विश्वविद्यालय परिसर में कुलसचिव का आवास चिन्हिकरण कर कुलसचिव को कुलसचिव आवास में ही निवास करने हेतु अनिवार्यता बाबत् प्रकरण के संबंध में निजी सचिव, माननीया कुलपति महोदया का यू0ओ0 नोट दिनांक 10.06.2021 का अनुमोदन।	कुलसचिव द्वारा जारी प्रारूपः– इस संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। माननीया कुलपति महोदया को आवास का अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग करने हेतु समिति गठित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। सदस्यों को प्रारूप प्रेषित किये जाने पर प्रस्तुत टिप्पणीयां :– 1. कुलसचिव, सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 13.07.2021 उक्तानुसार अंकित विवरण सदन के निर्णयानुसार है। 2. प्रो0 रामकिशोर शास्त्री (दिनांक 17.07.2021) 3. डॉ0 सुभाषचन्द्र शर्मा (दिनांक 17.07.2021) 4. डॉ0 माताप्रसाद शर्मा (दिनांक 17.07.2021) उपरोक्त तीनों सदस्यों का अभिकथन निम्नानुसार हैः– बिन्दु संख्या 66–4 में निजी सचिव, माननीया कुलपति महोदया के यू0ओ0नोट दिनांक 10.06.2021 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित आवासों को आवंटित करने के लिये माननीया कुलपति महोदया को इस संबंध में निर्णय लेने के लिये समिति का गठन करने हेतु अधिकृत किया गया। माननीय कुलपति महोदया का कथनः– उपर्युक्त तीनों सदस्यों के अभिकथन से सहमत हूँ। अतः उक्त अभिकथनों को ही अन्तिम निर्णय माना जाये।
66–5	विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत अनाथ/निर्धन/बीपीएल/एपीएल परिवार के विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय कार्मिक के पुत्र/पुत्री को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के लिए गठित समिति की अभिशंषा पर शिक्षण सत्र 2020–21 के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क में मुक्ति के कार्यालय आदेश क्रमांक 19–30 दिनांक 07.04.2021 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–6	कार्यालय आदेश क्रमांक प( )जरारासंविवि/शैक्ष./2021/6657–61 दिनांक 12.02.2021 में क्र.सं. 15 पर आर.एम.बी.के. योग महाविद्यालय, गोनेर रोड, जयपुर के स्थान पर आर.एम.बी.के. योगा महाविद्यालय, हीरावाला, तह. जमवारामगढ़, जयपुर–302027 पढ़े जाने के संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 7537–41 दिनांक 24.03.2021 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–7	सत्र 2020–21 के लिए एकवर्षीय योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम (PGDYT) संचालन बाबत् टाईम्स एज्यूकेशन सोसाइटी (टाईम्स शिक्षाशास्त्री महाविद्यालय) हनुमानगढ–335513 को अस्थाई सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता समिति की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

	एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि के कार्यालय आदेश क्रमांक 6789–95 दिनांक 18.02.2021 की पुष्टि।	
66.–8	संबद्धता समिति की बैठक दिनांक 31.05.2021 में माननीया कुलपति महोदया के अनुमोदनानुसार सत्र 2021–22 की संबद्धता हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक पं.(274)जरारासंविवि/शैक्षणिक/21/Aff.Spe. 1-8 दिनांक 31.05.2021 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–9	Open Air Theatre को किराये/लीज हेतु दिये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	इस संबंध में नियम बनाये जाने के लिये एवं उक्त का उपयोग किस उद्देश्य के लिये किया जावे, इस हेतु एक कमेटी बनाये जाने के लिये माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
66–10	1. M/s Nexgen Manpower Services Pvt. Ltd. Delhi को जॉब बेसिस पर सेवा निष्पादकों यथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउन्टेन्ट एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु दिये गये कार्यादेश क्रमांक 836–39 दिनांक 22.06.2021 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। भविष्य में वित्त संबंधी प्रकरणों (वित्त समिति की बैठक को छोड़कर) वित्त नियंत्रक के स्तर पर ही नियमानुसार अंतिमीकरण किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।
	2. M/s OM Security Services, Jaipur को जॉब बेसिस पर सेवा निष्पादकों यथा सिक्योरिटी गार्ड की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु दिये गये कार्यादेश क्रमांक 846–49 दिनांक 22.06.2021 अनुमोदनार्थ।	
	3. M/s G.S. & Company, Jaipur को जॉब बेसिस पर सेवा निष्पादकों यथा प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन, चौपहिया वाहन चालक एवं सहायक कर्मचारी की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु दिये गये कार्यादेश क्रमांक 841–44 दिनांक 22.06.2021 अनुमोदनार्थ।	
66–11	विश्वविद्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मासिक आधार पर 02 वाहन एवं 01 पूल वाहन हेतु जारी किये गये 03 कार्यादेशों क्रमशः क्रमांक 412 दिनांक 02.06.2021, क्रमांक 442 दिनांक 08.06.2021 एवं क्रमांक 688 दिनांक 19.06.2021 का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक में करवाये जाने हेतु यू0ओ0नोट क्रमांक 858 दिनांक 23.06.2021 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–12	संस्थापन शाखा के यू0ओ0नोट क्रमांक 817 दिनांक 24.06.2021 अनुसार कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 के बिन्दु संख्या 65–40 के निर्णय अनुसार डॉ. माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र क्रमांक 14153–58 दिनांक 02.02.2018 कुल 5 आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉ. शर्मा को कार्यालय आदेश क्रमांक प(582)जरारासंविवि/संस्था/21/7320–25 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा उक्त संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आरोपों का अंकन संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में न किया जाए जबकि सेवा पुस्तिका में इस बाबत् अंकन पूर्व में किया जा चुका था। सेवाभिलेखों में पूर्व में की गई प्रविष्ठियों को माननीय कुलपति महोदया के द्वारा दिनांक 06.03.2021 के अनुमोदनानुसार विलोपित किया जाकर आदेश प्रसारित किये गये। निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका में आरोप पत्रों की पूर्व में इस बाबत् अंकित प्रविष्ठयों को विलोपित किये जाने के माननीय कुलपति महोदया का निर्णय आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अवलोकनार्थ।	इस बिन्दु पर विचार के समय डॉ0 माताप्रसाद शर्मा कार्यपरिषद् की बैठक से प्रकरण उनसे संबंधित होने के कारण कुलपति महोदय के निर्देश पर बैठक से बाहर चले गये। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–13	संस्थापन शाखा के यू0ओ0नोट क्रमांक 819 दिनांक 24.06.2021	इस बिन्दु पर विचार के समय डॉ0

	अनुसार कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 के बिन्दु संख्या 65–40 के निर्णय अनुसार डॉ. माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र क्रमांक 14159–64 दिनांक 02.02.2018 कुल 2 आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉ. शर्मा को कार्यालय आदेश क्रमांक प(599)जरारासंविवि/संस्था/21/7333–38 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा उक्त संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आरोपों का अंकन संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में न किया जाए जबकि सेवा पुस्तिका में इस बाबत् अंकन पूर्व में किया जा चुका था। सेवाभिलेखों में पूर्व में की गई प्रविष्ठियों को माननीय कुलपति महोदया के द्वारा दिनांक 06.03.2021 के अनुमोदनानुसार विलोपित किया जाकर आदेश प्रसारित किये गये। निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका में आरोप पत्रों की पूर्व में इस बाबत् अंकित प्रविष्ठयों को विलोपित किये जाने के माननीय कुलपति महोदया का निर्णय आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अवलोकनार्थ।	माताप्रसाद शर्मा कार्यपरिषद् की बैठक से प्रकरण उनसे संबंधित होने के कारण कुलपति महोदय के निर्देश पर बैठक से बाहर चले गये। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–14	संस्थापन शाखा के यू0ओ0नोट क्रमांक 816 दिनांक 24.06.2021 अनुसार कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 के बिन्दु संख्या 65–40 के निर्णय अनुसार डॉ. माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र क्रमांक 14147–52 दिनांक 02.02.2018 कुल 4 आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉ. शर्मा को कार्यालय आदेश क्रमांक प(581)जरारासंविवि/संस्था/21/7345–50 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा उक्त संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आरोपों का अंकन संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में न किया जाए जबकि सेवा पुस्तिका में इस बाबत् अंकन पूर्व में किया जा चुका था। सेवाभिलेखों में पूर्व में की गई प्रविष्ठियों को माननीय कुलपति महोदया के द्वारा दिनांक 06.03.2021 के अनुमोदनानुसार विलोपित किया जाकर आदेश प्रसारित किये गये। निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका में आरोप पत्रों की पूर्व में इस बाबत् अंकित प्रविष्ठयों को विलोपित किये जाने के माननीय कुलपति महोदया का निर्णय आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अवलोकनार्थ।	इस बिन्दु पर विचार के समय डॉ0 माताप्रसाद शर्मा कार्यपरिषद् की बैठक से प्रकरण उनसे संबंधित होने के कारण कुलपति महोदय के निर्देश पर बैठक से बाहर चले गये। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–15	संस्थापन शाखा के यू0ओ0नोट क्रमांक 815 दिनांक 24.06.2021 अनुसार कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 के बिन्दु संख्या 65–40 के निर्णय अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, परीक्षा नियंत्रक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र क्रमांक 14172–76 दिनांक 02.02.2018 कुल 7 आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री चतुर्वेदी को कार्यालय आदेश क्रमांक प(21)IIजरारासंविवि/संस्था/21/7326–32 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा उक्त संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आरोपों का अंकन संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में न किया जाए जबकि सेवा पुस्तिका में इस बाबत् अंकन पूर्व में किया जा चुका था। सेवाभिलेखों में पूर्व में की गई प्रविष्ठियों को माननीय कुलपति महोदया के द्वारा दिनांक 06.03.2021 के अनुमोदनानुसार विलोपित किया जाकर आदेश प्रसारित किये गये। निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका में आरोप पत्रों की पूर्व में इस बाबत् अंकित प्रविष्ठयों को विलोपित किये जाने के माननीय कुलपति	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

	महोदया का निर्णय आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अवलोकनार्थ।	
66–16	संस्थापन शाखा के यू0ओ0नोट क्रमांक 814 दिनांक 24.06.2021 अनुसार कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 के बिन्दु संख्या 65–40 के निर्णय अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, परीक्षा नियंत्रक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र क्रमांक 14165–70 दिनांक 02.02.2018 कुल 2 आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री चतुर्वेदी को कार्यालय आदेश क्रमांक प(405)/जरारासंविवि/संस्था/21/7339–44 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा उक्त संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आरोपों का अंकन संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में न किया जाए जबकि सेवा पुस्तिका में इस बाबत् अंकन पूर्व में किया जा चुका था। सेवाभिलेखों में पूर्व में की गई प्रविष्ठियों को माननीय कुलपति महोदया के द्वारा दिनांक 06.03.2021 के अनुमोदनानुसार विलोपित किया जाकर आदेश प्रसारित किये गये। निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका में आरोप पत्रों की पूर्व में इस बाबत् अंकित प्रविष्ठयों को विलोपित किये जाने के माननीय कुलपति महोदया का निर्णय आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अवलोकनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–17	संस्थापन शाखा के यू0ओ0नोट क्रमांक 818 दिनांक 24.06.2021 अनुसार कार्यपरिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 के बिन्दु संख्या 65–40 के निर्णय अनुसार श्री महेश शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र क्रमांक 14177–82 दिनांक 02.02.2018 कुल 6 आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री शर्मा को कार्यालय आदेश क्रमांक प(601)/जरारासंविवि/संस्था/21/7351–56 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा उक्त संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आरोपों का अंकन संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में न किया जाए जबकि सेवा पुस्तिका में इस बाबत् अंकन पूर्व में किया जा चुका था। सेवाभिलेखों में पूर्व में की गई प्रविष्ठियों को माननीय कुलपति महोदया के द्वारा दिनांक 06.03.2021 के अनुमोदनानुसार विलोपित किया जाकर आदेश प्रसारित किये गये। निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका में आरोप पत्रों की पूर्व में इस बाबत् अंकित प्रविष्ठयों को विलोपित किये जाने के माननीय कुलपति महोदया का निर्णय आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अवलोकनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–18	श्री महेश शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन विभाग के संबंध में संस्थापन शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 303–09 दिनांक 09.04.2021 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
	अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से	
66–19	राजभवन के पत्रांक एफ1(4)(4)/आरबी/जीपी/2013/2294 दिनांक 10.06.2021, Red Cross Branches और स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों के मध्य MOU हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में शैक्षणिक शाखा से प्राप्त यू0ओ0 नोट क्रमांक 907 दिनांक 25.06.2021 विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सर्वसम्मति से एम0ओ0यू0 प्रारूप स्वीकार किया जाकर किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
66–20	M/s Imperial Security Service, Jaipur द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि लौटाये जाने हेतु सामान्य प्रशासन शाखा से प्राप्त पत्र क्रमांक 855–88 दिनांक 25.06.2021 एवं M/s R.S.	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

	Enterprises, Jaipur द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि लौटाये जाने हेतु सामान्य प्रशासन शाखा से प्राप्त पत्र क्रमांक 880–83 दिनांक 25.06.2021 अनुमोदनार्थ।	
66–21	कोविड–19 वैश्विक महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एवं नये प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के परिवार के कमाऊ व्यक्ति यथा माता या पिता का कोरोना के कारण निधन हो जाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क जब तक वह विश्वविद्यालय में अध्ययरनरत रहेगा माफ रखा जावेगा। यह शुल्क माफी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम (Self Financing Course) के अलावा सभी पर लागू रहेगा। उक्त संबंध में निदेशक, शैक्षणिक परिसर से जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 46 दिनांक 20.05.2021 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–22	कोविड–19 महामारी के संक्रमण को रोकने, वैक्सीनेशन कराने एवं इस क्रम में अन्य सुदृढ़ कदम उठाने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों से आर्थिक सहायता करने की अपील के फलस्वरूप माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सामान्य निधि से मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि रूपये 15.00 लाख (अक्षरे राशि रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की भुगतान स्वीकृति की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
66–23	सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के विरूद्ध चल रहे कोर्ट केसों, जिनमें न्यायालय द्वारा Contempt, अपील या अन्य कोई निर्णय लिया गया हो, उसे कार्यपरिषद् के विचारार्थ रखे जाने के संबंध में।	कुलसचिव द्वारा जारी प्रारूपः– प्रो0 रामकिशोर शास्त्री द्वारा सदन में प्रस्ताव दिया गया कि सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के विरूद्ध चल रहे कोर्ट केसों जिन प्रकरणों में Contempt, अपील की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया हो, उसे पहले कार्यपरिषद् के सम्मुख एजेण्डा के रूप में रखा जावेगा तत्पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा। कुलसचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई तो विश्वविद्यालय के विपरीत हुये निर्णय की पालना करनी होगी, जिससे विश्वविद्यालय के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कार्यपरिषद् की बैठक 2–3 माह के उपरान्त होती है। वाहन चालक के प्रकरण विशेष पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार के इस संबंध में जारी प्रपत्र क्रमांक F7(2)DOP/A-2/81Pt दिनांक 19.07.2001 एवं नियमों से सदन को अवगत कराया गया एवं जिस प्रकरण/वाद में राज्य सरकार भी पार्टी के रूप में है, उसमें राज्य सरकार की अनुमति/निर्णय अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी। सदस्यों को प्रारूप प्रेषित किये जाने पर प्रस्तुत टिप्पणीयां :– 1. कुलसचिव, सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 13.07.2021:– उक्त निर्णय के अतिरिक्त निम्नानुसार टिप्पणी भी की गई हैः– यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि राज्य सरकार के नियमों के विपरीत किसी

		भी प्रकार के निर्णय करने पर पूर्व में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 44वीं बैठक दिनांक 25.01.2014 के बिन्दु संख्या 44–6 एवं 44–7 के निर्णयों को (प्रति संलग्न) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 18(14)शिक्षा–6/2011/11 दिनांक 31.01.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप अविलम्ब कार्यपरिषद् की 45वीं बैठक दिनांक 26.02.2014 के बिन्दु संख्या 45–1 (प्रति संलग्न) द्वारा बदलकर पारित करना पड़ा है। 2. प्रो0 रामकिशोर शास्त्री (दिनांक 17.07.2021) 3. डॉ0 सुभाषचन्द्र शर्मा (दिनांक 17.07.2021) 4. डॉ0 माताप्रसाद शर्मा (दिनांक 17.07.2021) उपरोक्त तीनों सदस्यों का अभिकथन निम्नानुसार है:– बिन्दु संख्या 66–23 में कार्यपरिषद् द्वारा यह निर्णय लिया।गया कि सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के विरूद्ध चल रहे कोर्ट केसों में न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही का निर्णय कार्यपरिषद् की बैठक में लिया जाये। यदि किसी प्रकरण में निर्णय अतिशीघ्र लिए जाना आवश्यक है तो ऐसी अवस्था में निर्णय माननीया कुलपति महोदया के अनुमोदन उपरान्त लिया जाये। माननीय कुलपति महोदया का कथन:– उपर्युक्त तीनों सदस्यों के अभिकथन से सहमत हूँ। अतः उक्त अभिकथनों को ही अन्तिम निर्णय माना जाये।
66–24	न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्ध चल रहे कोर्ट केसों में विश्वविद्यालय की तरफ से पैरवी करने हेतु एडवोकेट का नया पैनल बनाये जाने बाबत् प्रकरण विचारार्थ।	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्ध चल रहे कोर्ट केसों में विश्वविद्यालय की तरफ से पैरवी करने हेतु एडवोकेट का नया पैनल बनाया जावे। विश्वविद्यालय के अधिकांश प्रकरण सेवा से संबंधित है। अतः उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में सर्विस रूल्स के जानकार एडवोकेट को ही प्राथमिकता दी जावे। उच्च न्यायालय के लिये प्रत्येक प्रकरण में एडवोकेट को रूपये 10000/– निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
66–25	कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी/कार्मिक के सेवानिवृत होने पर जलपान की व्यवस्था हेतु प्रकरण विचारार्थ।	विश्वविद्यालय में शिक्षक/अधिकारी/कार्मिक के सेवानिवृत होने पर जलपान की व्यवस्था हेतु रूपये 5000/–(अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र) विश्वविद्यालय की तरफ से व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया।
66–26	विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदया के विशेषाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ।	कुलसचिव द्वारा जारी प्रारूप:– विश्वविद्यालय में वर्तमान में विशेषाधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है। अतः सक्षम

		स्वीकृति लेने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों को प्रारूप प्रेषित किये जाने पर प्रस्तुत टिप्पणीयां :– 1. कुलसचिव, सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 13.07.2021:– उक्त निर्णय के अतिरिक्त निम्नानुसार टिप्पणी भी की गई है:– उक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कार्मिक इत्यादि को राज्य सरकार के नियमानुसार सेवा शर्तों पर रखे जाने हेतु वित्त विभाग/कार्मिक विभाग के परिपत्रों में उल्लेखानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संबंध में पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा विशेषाधिकारी नियुक्ति की स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 18(10)शिक्षा–6/2016/संविदा पुनर्नियुक्ति जयपुर दिनांक 22.07.2016 द्वारा विशेषाधिकारी नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। (प्रति संलग्न) इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के समस्त सेवा नियम लागू है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिनियम अनुसार विशेषाधिकारी का पद प्रतिनियुक्ति का पद है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। 2. प्रो0 रामकिशोर शास्त्री (दिनांक 17.07.2021) 3. डॉ0 सुभाषचन्द्र शर्मा (दिनांक 17.07.2021) 4. डॉ0 माताप्रसाद शर्मा (दिनांक 17.07.2021) उपरोक्त तीनों सदस्यों का अभिकथन निम्नानुसार है:– बिन्दु संख्या 66–26 में माननीया कुलपति महोदया के विशेषाधिकारी नियुक्त करने के लिए कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई तथा विशेषाधिकारी की नियुक्ति करने के लिए माननीया कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। माननीय कुलपति महोदया का कथन:– उपर्युक्त तीनों सदस्यों के अभिकथन से सहमत हूँ। अतः उक्त अभिकथनों को ही अन्तिम निर्णय माना जाये।

19.8.21

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
आर.ए.एस.
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

(प्रो0 अनुला मौर्य)
कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्